अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2023-हिं.अ.

दिनांक: 27.07.2023

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2023 को हुई अप्रैल-जून, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई अप्रैल-जून, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

27.7.23
(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की
<u>दिनांक 26.06.2023 को अप्रैल-जून, 2023 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून, 2023 अवधि की एक बैठक दिनांक 26.06.2023 को सायं 03.00 बजे, प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
2.	डॉ. संजय आर्य, चिकित्सा अधीक्षक (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्रीमती मनीषा सक्सेना, अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-I (दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री देवनाथ साह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री विजय पाल, वित्त सलाहकार (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राम सूरत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

10.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री पवन कुमार, प्रशासन अधिकारी, संपदा अनुभाग एवं विधि प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्रीमती सरोज लाल, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ एवं समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री निखिल जैन, लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्री प्रेमपाल, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री सुरेन्द्र कूलवाल, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	डॉ. संजय राय, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री सतीश कुमार, सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि:- श्री उमेश कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड- II, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री सी.जी. सत्यन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	प्रभारी-आचार्य, जनसंपर्क प्रभाग के प्रतिनिधि:- श्री सुशील कुमार, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

22.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) के प्रतिनिधि:- श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री जितेन्द्र कुमार बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) के प्रतिनिधि:- श्री रविन्द्र, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री महेन्द्र पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री गोपाल चंद्र साहू, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ. की प्रतिनिधि:- श्रीमती सविता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती सीमा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद के प्रतिनिधि:- श्री अशोक कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

माननीय निदेशक महोदय अपनी पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 <u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जारी वार्षिक <u>कार्यक्रम संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 17.04.2023 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ''क'' क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	**हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)**		संस्थान/केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/भण्डार आदि अनुभाग।
	i. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को	100%	
	ii. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को	100%	
	iii. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को	65%	
	iv. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	100%	
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	
3	हिंदी में टिप्पण	75%	
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	सीमेट, शैक्षिक अनुभाग
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ
6	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	संस्थान के सभी संबद्ध अधिकारीगण/संकाय-सदस्यगण

7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/ सीमेट
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	भंडार अनुभाग/कंप्यूटर सुविधा/सभी विभाग/केंद्र
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी रूप में प्रदर्शन	100%	इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र
13	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	हिंदी अनुभाग
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो	40%	सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग

माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 3 **<u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान

के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी, 2023 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 16 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2023 से आरंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के कर्मचारीगण से नामांकन मंगवाने हेतु दिनांक 19.06.2023 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण के अगस्त 2023 से प्रारंभ होने वाले ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

बैठक के दौरान माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि उन्हें अभी एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करने जाना है अत: अब इस बैठक की अध्यक्षता इस बैठक में प्रथम बार पधारी माननीया अपर निदेशक (प्रशासन) महोदया द्वारा की जाएगी। संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर माननीया अपर निदेशक (प्रशासन) महोदया का स्वागत करते हुए उनसे बैठक संचालित करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया की अध्यक्षता में बैठक की आगे की कार्रवाई पुन: आरंभ की गई।

मद सं. 4 **संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती करने संबंधी।**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती हिंदी अनुभाग में की जाएगी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाएगा।

इस विषय में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती के लिए बेसिल को एक ई-मेल भेजा जाए जिसकी एक प्रति हिंदी अनुभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

उपर्युक्त के विषय में समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती के लिए बेसिल को एक ई-मेल भेजा जाए जिसकी एक प्रति हिंदी अनुभाग

को भी उपलब्ध कराई जाए तथा परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त 03 स्थायी पदों पर नियमित आधार पर भर्ती हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र निष्पादित की जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 <u>संस्थान में राजभाषा पदों के पदनाम में संशोधन संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी कैडर के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को नियमानुसार क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्संबंधी फाइल शासी निकाय की आगामी आयोजित होने वाली बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाए। समिति के उक्त निर्णय को माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 6 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए लेकिन पिछले कुछ समय से संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र/ज्ञापन/आदेश पत्र आदि जो भी कागजात कंप्यूटर सुविधा द्वारा अपलोड किए जा रहे है, वे केवल अंग्रेजी में ही किए जा रहे हैं।

समिति द्वारा पूछे जाने पर श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर, कंप्यूटर सुविधा द्वारा सूचित किया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही कागजात को अपलोड किया जाता है लेकिन कभी-कभी संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र द्वारा अतितत्काल प्रकृति के कागजात, जोकि केवल अंग्रेजी में ही होते हैं, उन्हें उसी दिन संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का दबाव कंप्यूटर सुविधा पर होता है।

इस विषय पर बोलते हुए वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय द्वारा श्री पवन शर्मा, वरिष्ठ प्रोग्रामर को निदेश दिया गया कि कंप्यूटर सुविधा में जब भी कोई तत्काल प्रकृति का कागजात केवल अंग्रेजी में ही एम्स की वेबसाइट पर अपलोड होने के लिए आता है तो कंप्यूटर सुविधा द्वारा उसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ हिंदी रूपांतर हेतु

हिंदी अनुभाग को भी तत्काल ई-मेल कर दिया जाए और हिंदी अनुभाग द्वारा उसका हिंदी रूपांतर एक दिन के भीतर-भीतर कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध करवा दिया जाए।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही प्रत्येक कागजात को अपलोड किया जाए। माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कम्प्यूटर सुविधा

मद सं. 7 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 66.33% ही है।

सदस्य-सचिव ने समिति को यह सूचित किया गया पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 05 मई, 2023 को संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता 34 अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि जल्दी ही संस्थान के अन्य वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगित रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के ईमानदारी से प्रयास किए जाएं और मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि की जाए। माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र

मद सं. 8 बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की कुल खरीद का 50% बजट हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना अपेक्षित है लेकिन बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित राशि भी हिंदी पुस्तकों की खरीद पर अभी तक व्यय नहीं की गई है। समिति द्वारा पूछे जाने पर पुस्तकालय के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि तकनीकी कारणों से अभी तक उक्त पुस्तकों की खरीद नहीं हो पाई है जिसके लिए कार्रवाई जारी है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यथाशीघ्र उचित कार्रवाई पूर्ण की जाए। माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय

मद सं. 9 <u>संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में हिंदी के नए पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव भर्ती प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है जिस पर आवश्यक कार्रवाई भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा की जानी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदया द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव संस्थान की स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसे अब आगामी शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया ने प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) को आदेश दिया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 10 संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर समय पर उपलब्ध कराए जाने के <u>संबंध में।</u>

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य नवम्बर तक पूरा करा लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 25.04.2023 के पत्र द्वारा माननीय कुल-सचिव महोदय से भी अनुरोध किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के जो-जो अंग्रेजी अध्याय फाइनल होते जाएं उन्हें हिंदी अनुभाग को हिंदी रूपांतर हेतु उपलब्ध कराया जाए ताकि समय से उनका हिंदी रूपांतर निष्पादित किया जा सके।

उपर्युक्त विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतर हेतु फाइनल अंग्रेजी अध्याय शीघ्र हिंदी अनुभाग को उपलब्ध कराए जाएं ताकि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य समय से पूरा किया जा सके। माननीया अपर-निदेशक (प्रशासन) महोदया ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कुल-सचिव/हिंदी अनुभाग

अंत में, माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय द्वारा अपर-निदेशक (प्रशा.) महोदया को पोट प्लांट भेंट करके सम्मानित किया गया। माननीया अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।